उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ।

467 सेक्टर–21, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

ऑनलाइन आवेदन **प्रारम्भ** होने की तिथि– **17 –06–2016**

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि –. **16 –07–2016**

ऑनलोइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि –**19–07–2016**

टिप्पणीः–1– ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने के अगले कार्य दिवस को अपरान्ह 2:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क जमा होगा।

2–परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

प्रदेश की अधोलिखित सहकारी संस्था में उसके सम्मुख अंकित पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।

विज्ञापन संख्या	पद कोड संख्या	नियुक्तिकर्ता संस्था का नाम	पद का नाम	वेतनमान (रू0)	श्रेणी अनुसार रिक्त पदों का विवरण				
					अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	अन्य पिछड़ावर्ग	योग
सी–9/2016	11	यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0/सहकारी संघ प्राधिकारी लखनऊ	सहकारी पर्यवेक्षक	5200–20200 ग्रेड–पे–2000	63	85	12	157	317

आरक्षण :–

उपर्युक्तानुसार उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछडा वर्ग के पदों का उल्लेख संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर किया गया है। विज्ञापित पदों पर क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के विकलांगजनो (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :–

(1) **पद कोड संख्या–**11 के लिये– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 (कृषि) बी0ए0, (अर्थशास्त्र), बी0कॉम0 या गणित में स्नातक। प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी संघ प्राधिकारी (व्यवसायिक) विनियम–1976 के लागू होने के पूर्व उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन द्वारा नियुक्त सहकारी पर्यवेक्षकों पर उपरोक्त शैक्षिक योग्यता लागू नहीं होगी।

(2) वरीयता :–

(अ) मान्यता प्राप्त सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र से पत्रोंपाधि सत्र में डिप्लोमा।

(ब) किसी सहकारी समिति के सचिव या लेखाकार के पद पर कार्य का अनुभव।

(स) कम्प्यूटर में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण–पत्र।

आयु :–

(1) पद कोड सं0–11 हेतु दिनांक 01.01.2016 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्म तिथि 01.01.1995 के बाद की न हो एवं 01.01.1976 के पूर्व की न हो।

(2) केवल उ0प्र0 में स्थायी रुप से निवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विर्निदष्ठ हो।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग (Physically Handicapped) अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 18/1/2008–का–2/2008 दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी।

(4) भूतपूर्व सैनिक के लिये अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट 01 जनवरी 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(5) उ0प्र0 से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(6) नियुक्तिकर्ता सहकारी संस्था के अधीन आवेदित श्रेणी के पदों पर तदर्थ रुप से पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों की आयु में उनके द्वारा उस श्रेणी में की गई निरन्तर सेवा की अवधि तक, जो अधिकतम पॉच वर्ष होगी, छूट दी जायेगी।

(7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(8) विवाहित महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण के मामले में पिता की जाति के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र उनके स्थाई पते का मान्य होगा।

सेवा की अन्य शर्ते :–

(अ) अभ्यर्थी प्रदेश के भीतर विभिन्न सहकारी संस्थाओं में नियुक्ति किये जाने है और संस्थाओं से प्राप्त अंशदान से उनके वेतन आहरण की व्यवस्था है।

(ब) चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के उपरान्त उनकी नियुक्ति सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदेश के भीतर की जायेगी।

(स) प्रशिक्षण अवधि (जो सामान्यतः 16 सप्ताह की होगी) में विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था रहेगी।

(द) प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हे निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा तथा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में पूरक परीक्षा का अवसर दिया जायेगा और पूरक परीक्षा में असफल होने की स्थिति में वह नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(य)चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति के समय मु0–5000–00 जिसमें मु0–2500–00योगदान के पूर्व नकद शेष मु0–2500–00 वेतन से मु0–100.00 प्रति माह मासिक किस्तों में कटौती द्वारा जमानत के रुप में तथा मु0–10,000.00 फाइडेल्टी गारण्टी उन्हें अपने निजी व्यय पर देय होगा।

(र) प्रशिक्षण के उपरान्त तीन वर्ष तक सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर सेवा करना अनिवार्य होगा अथवा अभ्यर्थी पर व्यय की गई छात्रवृत्ति इत्यदि की सम्पूर्ण धनराशि उसे वापस करना होगा। इस आशय का सहकारी प्रबन्ध प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित रुप पत्र पर बाण्ड भी भरना होगा।

आवेदन शुल्क–

क्रमसंख्या	श्रेणी	परीक्षा शुल्क
(1)	**अनारक्षित (सामान्य)**	**500.00**
(2)	**अन्य पिछ्ड़ा वर्ग**	**500.00**
(3)	**अनुसूचित जाति**	**200.00**
(4)	**अनुसूचित जनजाति**	**200.00**
(5)	विकलांग (**Physically Handicapped)**	**200.00**

नोट–जमा किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा के लिये आरक्षित किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया

चयन की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी :–(1) लिखित परीक्षा –140 अंक (2) साक्षात्कार – 20 अंक । लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक ; (objective) होगी। सामान्य रुप से पद के अनुरुप शैक्षिक योग्यता के दृष्टिगत निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रश्न, परीक्षा में समावेशित किये जायेगें :–(i) सामान्य ज्ञान/तर्क ज्ञान (ii) सामान्य गणित (हाई स्कूल या समकक्ष स्तर का) (iii) सामान्य हिन्दी (हाई स्कूल या समकक्ष स्तर का) (iv) सामान्य अंग्रेजी (हाई स्कूल या समकक्ष स्तर का) (v) पद के अनुरुप शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित यदि कोई विशेष ज्ञान अपेक्षित होगा तो उससे सम्बन्धित प्रश्न।

सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्न हिन्दी में होगें। यथावश्यक तकनीकी शब्द अग्रेंजी में दिये जा सकते हैं।

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेगें, जिसमें पद के अनुरुप अभ्यर्थी के उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता का आकलन होगा।

लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा कोई भी यात्रा–व्यय आदि देय नहीं होगा और अभ्यर्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ेगी।

लिखित परीक्षा हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा, जो सामान्य रुप से परीक्षा में विज्ञापन में दी गयी अर्हताओं एवं शर्तो के अनुरुप पाये गयें हों, किन्तु यह अनन्तिम माना जायेगा और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कोई कमी या त्रुटि प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा।

परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/इलेक्ट्रानिक यन्त्र या अन्य अनुचित साधन रखना एवं उनका उपयोग दोनों पूर्णतया वर्जित रहेगा।

उपर्युक्त विज्ञापन का विस्तृत विवरण, परीक्षा सम्बन्धी निर्देश व अन्य सामान्य निर्देश तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी मण्डल की बेबसाइट website- www.upsevamandal.org पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र मण्डल की **बेबसाइट के माध्यम से केवल आन लाइन** ही स्वीकार किये जायेगें।

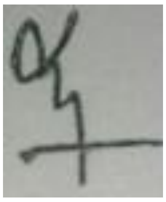

सचिव
उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल
लखनऊ